



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 30 नवम्बर, 2016 ई0

अग्रहायण 09, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 341/XXXVI(3)/2016/75(1)/2016

देहरादून, 30 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016” पर दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 27, वर्ष 2016 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2016
(अधिनियम संख्या 27, वर्ष 2016)

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, अधिनियम 2015 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2015) में अग्रोत्तर संशोधन करने के लिए -

अधिनियम

भारत गणराज्य के 67वें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ;

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2016 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
धारा 8 का संशोधन	2	चिकित्सा सेवा बोर्ड अधिनियम, 2015, की धारा 8 की उपधारा (1) के परन्तुक के पश्चात् एक और परन्तुक निम्नवत् अतःस्थापित दिया जायेगा, अर्थात्- “परन्तु यह और कि बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नियुक्ति के दिनांक से छः वर्ष तक कार्यरत रहेगा।”

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र खुल्वे,
प्रमुख सचिव।

No. 341/XXXVI(3)/2016/75(1)/2016
Dated Dehradun, November 30, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of ‘**the Uttarakhand Medical Services Selection Board (Amendment) Bill, 2016**’ (Adhiniyam Sankhya 27 of 2016).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 29 November, 2016.

THE UTTARAKHAND MEDICAL SERVICES SELECTION BOARD
(AMENDMENT) ACT, 2016

(Act no. 27 of 2016)

An

Act

further to amend the Uttarakhand Medical Services Selection Board, Act, 2015(Uttarakhand Act no 18 of 2015 ;

Enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the 67th Year of the Republic of India

- | | | |
|-------------------------------------|----|--|
| Short title and Commencement | 1. | (1) This Act may be called the Uttarakhand Medical Services Selection Board, (Amendment) Act, 2016
(2) It shall come into force at once. |
| Amendment of Section 8 | 2. | In the Uttarakhand Medical Services Selection Board Act 2015, a new proviso after first Proviso of Sub-section (1) of Section 8, shall be inserted as follows, namely –
“ Provided further that the first Chairman. of the Board shall be appointed for six year from the date of his appointment.” |

By Order,

RAMESH CHANDRA KHULBE,
Principal Secretary.